पीठासीन अधिकारी,

राजस्व वाद संख्या – 115/2017

वादी :–

सगराम पुत्र श्री हरकाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम तिलवासनी तहसील पीपाड़ शहर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. दौलाराम पुत्र धोकलराम
2. मंगलाराम पुत्र मोतीराम
3. छोगाराम पुत्र मोतीराम
4. मोहनराम पुत्र मोतीराम
5. हापूराम पुत्र मोतीराम
6. बाबूलाल पुत्र मोतीराम

जातियान विश्नोई निवासीगण ग्राम तिलवासनी तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

7. पेमाराम पुत्र धनाराम जाति जाट निवासी तिलवासनी तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।
8. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री मन्सुर अली छीपा वादी की ओर से
2. श्री ओमप्रकाश कच्छावाह प्रतिवादी की ओर से

दिनांक : 30.01.2019

निर्णय

वकील वादी की ओर से वादपत्र प्रस्तुत किया है जो इस प्रकार से है कि ग्रम तिलवासनी की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खाता सं. नया 301 में खसरा नम्बर 433 रकबा 7 बीघा 03 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय भूमि आई हुई है जो राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादीगण के नाम से वर्तमान में इन्द्राज है पूर्व में खसरा नम्बर 433 मूल रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा था जिसको आगे वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा । ग्राम तिलवासनी में स्थित खसरा नम्बर 433 का मूल रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा था, जो हरका पुत्र जीवराज के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज था जिनके देहान्त के बाद उक्त खसरे में उनके जाईन्दा पुत्र मोतीराम व वादी सगराम के नाम से जरीये फौतेदगी नामान्तरकरण सं. 11 के राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किया गया उसके बाद वादी द्वारा अपने 1/2 हक व हिस्से में से 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि का बैचान प्रतिवादी सं. सात को जरिये रजिस्टर्ड बैचान के 15.06.1957 को कर दिया जिसके आधार प्रतिवादी सं. सात के नाम से नामान्तकरण सं. 15 राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया उसके बाद खसरा नम्बर 433 मूल रकबा 9 बीघा 11 बस्वा कृषि भूमि में से 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि का रकबा काटकर अलग कर दिया गया जो वर्तमान में प्रतिवादी सं. सात के नाम से 433/1 अलग से इन्द्राज है व वर्तमान जमाबंदीयॉ में खसरा नम्बर 433 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा शेष रही भूमि इन्द्राज है । वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी में से 2 बीघा भूमि का बैचान प्रतिवादी सं. एक को दिनांक 13.02.1996 को किया जो बैचाननामा उपपंजीयक कार्यालय बिलाड़ा मे कम सं. 198 पर पंजीबद्धशुदा है व उक्त 2 बीघा भूमि के बैचान का राजस्व रेकर्ड मे प्रतिवादी सं. एक

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

के नाम से नामान्तकरण स्वीकार किया जाना था लेकिन नामान्तकरण सं. 565 में नामान्तकरण स्वीकार करते समय खसरा नम्बर 433 रकबा 7 बीघा 03 बिस्वा मे वादी का 1/2 हिस्सा बताते हुए प्रतिवादी सं. एक के नाम से 1/2 हिस्से का नामान्तकरण इन्द्राज कर दिया गया जो कि पूर्णतया अवैधानिक है व किसी प्रकार से नीतिगत व विधिसम्मत नही है वादी द्वारा किये गये बैचाननामे से परे जाकर प्रतिवादी सं. एक के नाम से नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है जो अपने आप में शुन्य है । मूल खसरा नम्बर 433 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा में 1/2 हिस्सा यानि 4 बीघा 15 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि प्रतिवादी सं. दो से छह की स्थित है तथा वादी के हक में आई 4 बीघा 15 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि में से वादी ने 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि का बैचान प्रतिवादी सं. सात को किया तथा 2 बीघा भूमि का बैचान प्रतिवादी सं. एक को किया इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में वादी के हक हिस्से में 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि शेष रहती है लेकिन नामान्तकरण संख्या 565 अवैधानिक रूप से स्वीकार किये जाने वादी की 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि प्रतिवादी सं. एक के नाम से इन्द्राज हो गई उक्त अवैधानिक नामान्तकरण से वादी अपनी 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि के खातेदारी अधिकारो को प्राप्त करने से महरूम हो रहा है इसलिए वादी द्वारा उक्त वाद वास्तें खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही है । प्रतिवादी सं. दो से छः द्वारा श्रीमान न्यायालय के समक्ष राजस्व मूल वाद सं. 101/2015 प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रतिवादी सं. दो से छः का खसरा नम्बर 433 मूल रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा में 1/2 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने कि डिकी पारित की गई जिसमें वादी को कोई एतराज नही है लेकिन वादी के 1/2 हिस्से में प्राप्त होने वाली भूमि में 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि पद सं. चार में वर्णितानुसार प्रतिवादी सं. एक के खाते में इन्द्राज कर दी गई है जिसकी खातेदारी घोषणा हेतु उक्त वाद श्रीमान न्यायालय हाजा के समक्ष पेश है । वादी ने दिनांक 10.09.2017 कों प्रतिवादी संख्या एक को वादग्रस्त आराजी का रेकर्ड दुरूस्त करवाकर 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि वादी के नाम से इन्द्राज करवाने का आग्रह किया लेकिन वादी को प्रतिवादी एक ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि वह राजस्व रेकर्ड को सही नही करवायेगा तथा जो सरकार के खाते में दर्ज उसे ही मानेगा तथा वादी को उसकी शेष खातेदारी भूमि में कृषि कार्य करने से भी मना कर दिया जिसे रोके जाने हेतु उक्त वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जा रहा है । वादी की 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि को प्रतिवादी सं. एक के नाम से नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने में राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियो की गलती रही है जिसके लिए वादी को उसके खातेदारी अधिकारो से वंचित नही किया जा सकता है। प्रतिवादी सं. दो से सात वादग्रस्त आराजी में सहखातेदारान होने से उसका पक्ष सुने बगैर निर्णय पारित करवाया जाना न्यायोचित नही होगा इसलिए प्रतिवादी सं. दो से सात को उक्त वाद में पक्षकार संयोजित किया गया हैं। मूल खसरा नम्बर 433 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा में से 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि वादी ने प्रतिवादी सं. सात को बैचान की थी जिसका नामान्तकरण सं. 15 राजस्व रेकर्ड में विधिवत रूप से इन्द्राज किया गया जिसे निरस्त करवाये जाने हेतु वादी द्वारा कोई अनूतोष नही चाहा गया है व केवल वर्तमान खसरा नम्बर 433 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा भूमि में उपरोक्त पदो में वर्णितानुसार अनूतोष चाहा गया है । बिनाय दावा बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण वाद में वर्णित तथ्यों व परिस्थितियो अनुसार दिनांक 10.09.2017 को प्रतिवादी सं. एक द्वारा राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करवाने से साफ

उपखण्ड अधिकारी

मना करने पर व वादी को खातेदारी नही मानते हुए कृषि कार्य करने से मना करने पर बमुकाम ग्राम तिलवासनी में उत्पन्न हुआ जो लगातार उत्पन्न हो रहा है । इस्तदुआ वादी निम्न प्रकार से है कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा खातेदारी की डिकी इस आश्य की सादिर फरमायी जावें कि ग्राम तिलवासनी में स्थित भूमि खाता संख्या नया 301 में खसरा नम्बर 433 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय भूमि में वादी को 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि का खातेदार घोषित फरमावें। वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा खातेदारी की डिकी इस आश्य की सादिर फरमायी जावें कि ग्राम तिलवासनी में स्थित भूमि खाता संख्या नया 301 में खसरा नम्बर 433 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय भूमि में प्रतिवादी सं. एक को 2 बीघा भूमि का खातेदार घोषित फरमावें। वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा खातेदारी की डिकी इस आशय की सादिर फरमायी जावें कि ग्रम तिलवासनी में स्थित भूमि खाता सं. 301 में खसरा नम्बर 433 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय भूमि में प्रतिवादी सं. दो से छः को 4 बीघा 15 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि का खातेदार घोषित फरमावें । ग्राम तिलवासलनी के खसरा नम्बर 433 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा भूमि में स्वीकार किये गये नामान्तरकरण सं. 565 को शुन्य होने से निरस्त घोषित किया जावें । वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी सं. एक विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी इस आश्य की सादिर फरमायी जावें कि वादग्रस्त आराजी में निहीत वादी की खातेदारीसुदा भूमि 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि मे वादी के उपयोग उपभोग में प्रतिवादी सं. एक न तो स्वयं दखलन्दाजी उत्पप्प करे न किसी अन्य से करावे। अन्य अनुतोष जो हित वादी हो वादी के पक्ष में अता फरमावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणो को सम्मन जारी किये गये, प्रतिवादीगण सं. एक की ओर से वकील ओमप्रकाश कच्छावाह ने व प्रतिवादी सं. 2 से 7 की ओर से वकील उदयसिंह कच्छावाह ने वकालतनामा प्रस्तुत किया । फोरमल पक्षकार तहसीलदार का सम्मन बाद तामील प्राप्त हुआ । प्रतिवादी सं. एक की ओर से वकील ओमप्रकाश कच्छावाह द्वारा जबाव प्रस्तुत नही किये जाने पर उनका जबाब बन्द किया गया । प्रतिवादी सं. दो से सात की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जो इस प्रकार से है कि :–

वादी ने ग्राम तिलवासनी में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 433 का अंकन किया है जो राजस्व रेकर्ड के अनुसार सही होने से स्वीकार है। वादी ने अंकन कया कि वादग्रस्त आराजी पुर्व हरका पुत्र जीवराज के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज थी जिनके देहान्त के बाद उक्त खसरें में उनके जाईन्दा पुत्र मोतीराम व वादी सगराम के नाम से जरिये फौतेदगी नामन्तकरण सं. 11 के राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद की गई उसके बाद वादी द्वारा अपने 1/2 हक व हिस्से मेंसे 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि का बैचान प्रतिवादी सं. सात को जरिये रजिस्टर्ड बैचान के 15.6.1957 को कर दिया जिसके आधार पर प्रतिवादी सं. सात के नाम से नामान्तकरण सं. 15 राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया उसके बाद खसरा नम्बर 433 मूल रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा कृषि भूमि में से 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि का रकबा काटकर अलग कर दिया गया जो वर्तमान जमाबंदियो में खसरा नम्बर 433 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा शेष रही भूमि इन्द्राज है। सभी कथन पूर्णतया सही होने से स्वीकार है । वादी ने अंकन किया कि उसके द्वारा वादग्रस्त

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सिवाड शहर (जोधपुर

आराजी में से 2 बीघा भूमि का बैचान प्रतिवादी सं. एक को दिनांक 13.02.1996 को किया जो बैचाननामा उपपंजीयक कार्यालय बिलाड़ा में कम सं. 198 पर पंजीबद्धसुदा है व उक्त 2 बीघा भूमि के बैचान का राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी सं. एक के नाम से नामान्तकरण स्वीकार किया जाना था लेकिन नामान्तकरण सं. 565 में नामान्तरकरण स्वीकार करते समय खसरा नम्बर 433 रकबा 7 बीघा 03 बिस्वा में वादी का 1/2 हिस्सा बताते हुए प्रतिवादी सं. एक के नाम से 1/2 हिस्से का नामान्तरकरण इन्द्राज कर दिया गया जो कि पूर्णतया अवैधानिक है उक्त कथन सही है वादी ने केवल 2 बीघा भूमि का बैचान किया था व नामान्तरकरण में 1/2 हिस्सा अंकन कर दिया गया जो पूर्णतया गलत है । वादी ने अंकन किया कि वादग्रस्त आराजी मूल खसरा नम्बर 433 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा में 1/2 हिस्सा यानि 4 बीघा 15 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि प्रतिवादी सं. दो से छः की स्थित है तथा वादी के हक में आई 4 बीघा 15 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि में से वादी ने 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि का बैचान प्रतिवादी सं. सात को किया तथा 2 बीघा भूमि का बैचान प्रतिवादी सं. एक को किया इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में वादी के हक हिस्से में 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि शेष रहती है लेकिन नामान्तकरण सं. 565 अवैधानिक रूप से स्वीकार किये जाने वादी की 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि प्रतिवादी सं. एक के नाम से इन्द्राज कर दी गई उक्त कथन सही है । वादी ने अंकन किया कि दिनांक 10.09.2017 को प्रतिवादी संख्या एक को वादग्रस्त आराजी का रेकर्ड दुरूस्त करवाकर 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि वादी के नाम से इन्द्राज करवाने का आग्रह किया लेकिन वादी को प्रतिवादी संख्या एक ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि वह राजस्व रेकर्ड को सही नही करवायेगा तथा जो सरकार के खाते में दर्ज उसे ही मानेगा तथा वादी को उसकी शेष खातेदारी भूमि में कृषि कार्य करने से भी मना कर दिया, उक्त तमाम कथन वादी स्वयं साबित करें। वादी ने प्रतिवादी सं. दो से सात को आवश्यक रूप से पक्षकार होना दर्शाते हुए अंकन किया है जो सही है । वादी ने अंकन किया कि प्रतिवादी सं. सात के नाम से मूल खसरा नम्बर 433 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा में से 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि राजस्व रेकर्ड में जरिये नामान्तकरण सं. 15 के इन्द्राज है जो सही है । वादी की इस्तदुआ है जो सही व विधिसम्मत होने से वादी प्राप्त करने का अधिकार है वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाता है तो प्रतिवादीगण को आपत्ति नही है । अतः जवाबदावा मय शपथ पत्र के प्रस्तुत कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर डिक्री पारित फरमाई जावें। वकील प्रतिवादी सं. 2 से 7 का एडमिटेड जबाव होने से पत्रावली में तनकीयात की आवश्यकता नही है ।

वकील वादी द्वारा साक्ष्य पेश नही किये जाने पर वादी साक्ष्य बन्द की गयी । इसी प्रकार वकील प्रतिवादी द्वारा भी साक्ष्य पेश नही करने के कारण उनकी साक्ष्य भी बन्द की गयी ।

बहस वकुलाय सुनी गयी । वकील वादी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दोहराते हुए वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा खातेदारी की डिक्री इस आश्य की सादिर फरमायी जावें कि ग्राम तिलवासनी में स्थित भूमि खाता संख्या नया 301 में खसरा नम्बर 433 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय भूमि में वादी को 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि का खातेदार घोषित फरमावें। वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा खातेदारी की डिक्री इस आश्य की सादिर फरमायी जावें कि ग्राम तिलवासनी में स्थित भूमि खाता संख्या नया 301 में खसरा नम्बर 433 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय भूमि में प्रतिवादी सं. एक को 2 बीघा भूमि का खातेदार घोषित फरमावें।

सहायक कलक्ट

वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा खातेदारी की डिक्री इस आशय की सादिर फरमायी जावें कि ग्राम तिलवासनी में स्थित भूमि खाता सं. 301 में खसरा नम्बर 433 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय भूमि मेंप्रतिवादी सं. दो से छः को 4 बीघा 15 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि का खातेदार घोषित फरमावें । ग्राम तिलवासलनी के खसरा नम्बर 433 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा भूमि में स्वीकार किये गये नामान्तरकरण सं. 565 को शुन्य होने से निरस्त घोषित किया जावें । वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी सं. एक विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की सादिर फरमायी जावें कि वादग्रस्त आराजी में निहीत वादी की खातेदारीसुदा भूमि 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि मे वादी के उपयोग उपभोग में प्रतिवादी सं. एक न तो स्वयं दखलन्दाजी उत्पप्प करे न किसी अन्य से करावे। इसी प्रकार वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में जबावदावे के बिन्दुओ को दोहराते हुए निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी पूर्व में हरका पुत्र जीवराज के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज थी जिनके देहान्त के पश्चात् उक्त खसरे में उनके जायन्दा पुत्र मोतीराम व सगराम के नाम जरीये फौतेदगी नामान्तरण सं. 11 के राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद की गयी । उसके बाद वादी द्वारा अपना 1/2 हक व हिस्से में 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि का बेचान प्रतिवादी सं. 7 को जरीये रजिस्टर्ड बेचान के 15.06.1957 को कर दिया । जिसके आधार पर प्रतिवादी सं. 7 के नाम से नामान्तरण सं. 15 राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया । वादग्रस्त आराजी मूल खसरा नम्बर 433 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा में 1/2 हिस्सा यानि 4 बीघा 15 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि प्रतिवादी सं. 2 से 6 की स्थित है । वादी को प्रतिवादी सं. एक ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि वह राजस्व रेकर्ड को सही करवायेगा तथा जो सरकार के खाते में दर्ज उसे ही मानेगा तथा वादी को उसकी शेष खातेदारी भूमि में कृषि कार्य करने से भी मना कर दिया । अतः निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर डिक्री पारित फरमायी जाने का निवेदन किया है ।

हमने बहस वकुलाय सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया गया । व वाद पत्र, संलग्न दस्तावेज, साक्ष्य शपथपत्र व बहस पर मनन किया । वादी ने वाद पत्र में बताया है कि खसरा नम्बर 433 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा मौजा ग्राम तिलवासनी में हरका पुत्र जीवराज के नाम से था व देहान्त पश्चात् मोतीराम व सगराम दोनो पुत्रो के नाम नामांतरण सं. 11 के जरीये फौतेदगी नामान्तरण दर्ज किया गया जो प्रदर्श 3 है । खसरा नम्बर 433 जो कि मूल रकबा 9 बीघ 11 बिस्वा का था जिसमें वादी द्वारा 2 बीघा 8 बिस्वा का बेचान प्रतिवादी सं. 7 को किया गया जो कि जरीये नामान्तरण सं. 15 के राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी सं. 7 के नाम से इन्द्राज हुआ था जो प्रदर्श 4 है। अतः वादी सं. 1 के 1/2 हिस्से में से 2 बीघा 8 बिस्वा का बेचान पूर्व में प्रतिवादी सं. 7 को किया गया था तत्तपश्चात् वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 1 को खसरा नम्बर 433 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा में से 2 बीघा का बेचान प्रतिवादी सं. एक को किया गया जो प्रदर्श 10 से स्पष्ट है । नामान्तरण सं. 565 प्रदर्श 5 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं. 1 को वादी द्वारा 2 बीघा का ही बेचान किया गया ना कि 7 बीघा 3 बिस्वा भूमि में से 1/2 हिस्से का । परन्तु राजस्व कर्मचारीयो की भूल से प्रतिवादी सं. एक के नाम 1/2 हिस्सा इन्द्राज कर दिया गया व प्रतिवादी सं. 2 से 6 के नाम शेष 1/2 हिस्सा का इन्द्राज कर दिया गया । जबकि वादी द्वारा प्रतिवादी सं. एक को बेचान की गयी भूमि जो वादी द्वारा अपने 71 हिस्से में 40 हिस्से का बेचान किया गया जो कि मूल 7 बीघा 3 बिस्वा

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

में से 2 बीघा बनता है ऐसा मूल रजिस्ट्री जो प्रदर्श 10 है, से स्पष्ट होता है। पूर्व में वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 7 को किए बेचान जों प्रदर्श 9 है व प्रतिवादी सं. एक का किए बेचान जो प्रदर्श 10 है । अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा खसरा नम्बर 433 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा में से 1/2 हिस्से में 4 बीघा 8 बिस्वा का बेचान किया गया है व वादी का हिस्सा 4 बीघा 15 बिस्वा 10 बिस्वांसी बनता है अतः वादी 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि का खातेदार घोषित होने व अपने हक हिस्से तक स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है । प्रतिवादी सं. 2 से 6 के इस मूल खसरा नम्बर 433 में 1/2 हिस्से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने के संबंध में पूर्व में डिकी मूल वाद 101/2015 में हो चुकी है । अतः इस दावे में अलग से प्रतिवादी सं. 2 से 6 को कोई रिलीफ नही दी जा सकती है ।

अतः वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर ग्राम तिलवासनी के खसरा नम्बर 433 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा में से वादी को 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है व प्रतिवादी सं. एक को 2 बीघा का खातेदार घोषित किया जाता है व प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि प्रतिवादीगण वादी के हक हिस्से की भूमि में दखलन्दाजी न तो स्वयं करें व न ही किसी अन्य से करावे । वादी का वाद डिकी किया जाता है । डिकी पर्चा जारी हो ।

(कंचन राठौड़)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 30.01.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया । फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

(कंचन राठौड़)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर